न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 15 / 2023	2023 / 295	30.10.2023	07.01.2025

1– सतीश पुत्र सुरजभान,
2– मनीलाल पुत्र सुरजभान,
3– राकेश पुत्र लालसिंह,
4– अजीत पुत्र लालसिंह,
5– मगनी देवी पत्नी लक्ष्मीचन्द,
6– हुकमदेवी पत्नी राजबीर,
7– बिल्लूराम पुत्र लक्ष्मीचन्द,
8– शिशुपाल पुत्र लक्ष्मीचन्द,
9– बलबीरसिंह पुत्र हरफूल,
10– इन्दर सिंह पुत्र हरफूल,
11– महावीरसिंह पुत्र हरफूल,
12– सुरेश कुमार पुत्र राजबीर,
13– मिन्टूकुमार पुत्र राजबीर,
14– इन्दुलता पत्नी संजयकुमार,
15– मिन्दुलता पत्नी मनोजकुमार जातियान अहीर निवासीगण बन्धडा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा नामान्तकरण संख्या 3733 दर्ज दिनांक 17.12.2021 निर्णय दिनाक 21.12.2021 वाके ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–
01. श्री अरविन्द यादव, दिनेश यादव —वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के नामान्तकरण संख्या 3733 दर्ज दिनांक 17.12.2021 निर्णय दिनाक 21.12.2021 ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 520 रकबा 0.3000 है0 हाल आराजी खसरा न0 251 रकबा

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

0.3800 है0 वाके ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा हम अपीलान्टान की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, मुताबिक जमाबन्दी अपने-अपने भाग की भूमि पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है, व मौके पर वास्तविक कब्जा है। हाल आराजी खसरा न0 520 रकबा 0.3000 है0 व हाल आराजी खसरा न0 251 रकबा 0.3800 है0 के रेस्पोडेन्ट तहसीलदार तिजारा ने हम अपीलान्टान को बिना कोई सूचना दिये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना हम अपीलान्टान की सहमति के आराजी का विभाजन कर नये नम्बर खसरा न0 2042/520 रकबा 0.2900 है0 बारानी व खसरा न0 2043/520 रकबा 0.0100 है0 गैरमुमकिन रास्ता तथा खसरा न0 2040/251 रकबा 0.3700 है0 बारानी 2041/251 रकबा 0.0100 है0 गैरमुमकिन रास्ता की बाबत विधि विरूद्व व गैरकानूनी तरीके से नामान्तकरण संख्या 3733 दर्ज दिनाक 17.12.2021 व स्वीकार दिनाक 21.12.2021 को निर्णित कर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर किया गया है। जबकि वर्णित आराजी खसरा न0 520 रकबा 0.3000 है0 व हाल आराजी खसरा न0 251 रकबा 0.3800 है0 हम अपीलान्टान की संयुक्त खातेदारी की भूमि में से कोई गैरमुमकिन रास्ता का अंकन नही है, और न ही मौके पर कोई रास्ता है, और न ही रास्ता रहा है। गैरमुमकिन रास्ते के संम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई आदेश किसी भी न्यायालय से पारित नही है, और न ही रेस्पोडेन्ट के पास कोई आदेश मौजूद है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा नामान्तकरण संख्या 3733 बिना किसी आदेश के हम अपीलान्टान की बिना सहमति के व हम अपीलान्टान के हितो पर कुठाराघात करने के उददेश्य से दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने लोक सेवक के कर्त्तव्यो की पालना नही की गयी है, एंव अपने पदीय हैसियत का दुरूपयोग कर विधि विरूद्व तरीके से नामान्तकरण संख्या 3733 पारित किया गया है। हम अपीलान्टान की खातेदारी की आराजी बिना किसी आदेश के आराजी का विभाजन कर व आराजी में से गैरमुमकिन रास्ता का अंकन कर दिया है। हम अपीलान्टान को कानून कायदे की कतई जानकारी नही है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.12.2021 नामान्तकरण संख्या 3733 की आड में वर्णित आराजी में हल्का पटवारी कुछ लोगो के साथ दिनाक 17.05.2023 को आकर मौके पर हम अपीलान्टान के बने मकानात में बीचो बीच निशानदेही व पैमाईश करने लगा तो हल्का पटवारी ने कहा की हमे तो तहसीलदार तिजारा द्वारा आदेशित किया गया है, जिस पर दस्तावेजात एकत्रित किये और दिनाक 23.05.2023 प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तकरण संख्या 3733 को निरस्त कराने का निवेदन किया गया तो साफ तौर से इन्कार हो गये व हम अपीलान्टान की खातेदारी में बीचो बीच नया रास्ता बनाकर बेदखल करने की धमकी दी है। अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का अपील के साथ पृथक से पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टान अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्टान ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 3733 दर्ज दिनांक 17.12.2021 निर्णय दिनाक 21.12.2021 वाके ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा जिला खैरथल-तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय को दिनाक 31.05.2023 को पेश की गयी है, जो करीब एक वर्ष 1 माह पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.12.2021 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टान को दिनाक 17.05.2023 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 520 रकबा 0.3000 है0 हाल आराजी खसरा न0 251 रकबा 0.3800 है0 वाके ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा हम अपीलान्टान की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, मुताबिक जमाबन्दी अपने-अपने भाग की भूमि पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है, व मौके पर वास्तविक कब्जा है। हाल आराजी खसरा न0 520 रकबा 0.3000 है0 व हाल आराजी खसरा न0 251 रकबा 0.3800 है0 पर तहत

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

:- रेस्पाडेन्ट

अदालत तहसीलदार तिजारा ने हम अपीलान्टान को बिना कोई सूचना दिये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना हम अपीलान्टान की सहमति के आराजी का विभाजन कर नये नम्बर खसरा न0 2042/520 रकबा 0.2900 है0 बारानी व खसरा न0 2043/520 रकबा 0.0100 है0 गैरमुमकिन रास्ता तथा खसरा न0 2040/251 रकबा 0.3700 है0 बारानी 2041/251 रकबा 0.0100 है0 गैरमुमकिन रास्ता की बाबत विधि विरूद्व व गैरकानूनी तरीके से नामान्तकरण संख्या 3733 दर्ज दिनाक 17.12.2021 व स्वीकार दिनाक 21.12.2021 को निर्णित कर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया गया है। जबकि वर्णित आराजी खसरा न0 520 रकबा 0.3000 है0 व हाल आराजी खसरा न0 251 रकबा 0.3800 है0 अपीलान्टान की संयुक्त खातेदारी की भूमि में से कोई गैरमुमकिन रास्ता का अंकन नही है, और न ही मौके पर कोई रास्ता है, और न ही रास्ता रहा है। तहत अदालत का रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रकरण में वर्णित आराजी खातेदारी की संयुक्त आराजी है, जिस पर खातेदार काबिज काश्त है, तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार करने से पूर्व खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है, एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्टान स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2021 नामान्तकरण संख्या 3733 ग्राम शाहबाद निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में खातेदारान को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अधिकतम दो माह में सुनवाई कर विधिवत पुनः निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ वापिस लोटायी जावे, पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा